



Neutral Citation No-2026:AHC:254

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 5190 वर्ष 2025

हरिलाल और 2 अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: आशीष कुमार श्रीवास्तव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. पक्षों के अधिवक्ता को सुना।
2. यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 27(3) के तहत केस संख्या-20235315600000001381(हरिलाल और अन्य बनाम श्रीमती रामताजी और अन्य) के शीघ्र निपटान की मांग करते हुए प्रस्तुत रिट याचिका दायर की गई है, जो निर्धारित अवधि के भीतर चकबंदी के उप निदेशक (प्रतिपक्षी संख्या-2) के समक्ष विचारार्थ लंबित है।
3. यह प्रस्तुत किया जाता है कि यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 27(3) के तहत आवेदन 10.06.2021 को दायर किया गया है। संबंधित प्राधिकारी ने उपर्युक्त आवेदन में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि निजी प्रतिपक्षी का प्रतिनिधित्व भी उसके अधिवक्ता के माध्यम से किया जाता है।
4. स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त मामले को शीघ्रता से तय करने के लिए कोई निर्देश जारी किया जाता है।
5. उपरोक्त के रूप में इस विवेचना में, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए, यह न्यायालय रिट याचिका के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जैसा कि रिट याचिका में उल्लिखित है, प्रतिपक्षी संख्या-2 को उपरोक्त

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मामले को कानून के अनुसार सख्ती से तय करने के निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका को अंतिम रूप से निपटाना उचित समझता है, एक तर्कपूर्ण और आख्यापक आदेश के माध्यम से, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और किसी भी पक्ष को किसी भी अनावश्यक स्थगन को शीघ्रता से दिए बिना, अधिमानतः, इस आदेश की प्रमाणित प्रति के उत्पादन की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर।

6. उपरोक्त निर्देश के साथ, इस याचिका का अंततः निपटारा किया जाता है।

जनवरी 5, 2026

वीआर

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)